रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31072024-255942
CG-DL-E-31072024-255942

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 421] नई दिल्ली बुधवार, जुलाई 31, 2024/श्रावण 9, 1946
No. 421] NEW DELHI,WEDNESDAY, JULY 31, 2024/ SHRAVANA 9, 1946

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2024

सा.का.नि. 460(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, हिंदी शिक्षण योजना, आशुलिपिक (श्रेणी-II) भर्ती नियम, 2013 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है; या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना में आशुलिपिक श्रेणी- II के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् : -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना, आशुलिपिक श्रेणी- II भर्ती नियम, 2024 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**-उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि**-भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता-वह व्यक्ति–**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**-जहां केन्द्रीय करकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**-इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पदों की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन या अचयन पद।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आशुलिपिक श्रेणी-II	07* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100/-रु.)	लागू नहीं होता।	18 और 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए, साधारणअभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष तक जा सकती है।) **टिप्पण:**-आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण । (ii) कौशल परीक्षण मानक: श्रुतलेख: 80 शब्द प्रति मिनट की दर से दस मिनट। प्रतिलेखन: पचास मिनट (अंग्रेजी) पैंसठ मिनट (हिंदी) (केवल कंप्यूटर पर)	लागू नहीं होता ।	दो वर्ष । टिप्पण: सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए, केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित परिवीक्षा के सफलता-पूर्वक पूरा किये जाने की कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया जाना अपेक्षित है।	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण:**पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए रिक्तियां, केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और (ख) स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित की गई अर्हताएं और अनुभव रखता हो ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता ।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति : (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. निदेशक, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान -अध्यक्ष 2. अवर सचिव, राजभाषा विभाग -सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान -सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं.14034/12/2022-रा.भा. (प्रशि.)]

अनिल कुमार, उप सचिव (प्रशि.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Official Language)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2024

G.S.R. 460(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute/ Hindi Teaching Scheme, Stenographer (Grade-II) Recruitment Rules, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade-II in the Central Hindi Training Institute/ Hindi Teaching Scheme, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement.-(1)** These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute and Hindi Teaching Scheme, Stenographer Grade-II (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classifications and level in pay matrix.**-The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc..**-The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.**- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other backward classes, the ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in the pay matrix.**	**Whether selection or non-selection post.**	**Age limit for direct recruits.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Stenographer (Grade-II).	07* (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group - 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-4 in the pay matrix. (Rs.25500 – 81100).	Not applicable.	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates upto the age of forty years in case of general candidate and upto the age of forty-five years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) **Note.**-The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational quali;fycations prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Mode of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) 12th class pass from a recognized Board; (ii) skill test norms : Dictation : Ten minutes at the rate of eighty words per minute. Transcription : Fifty minutes (English) sixty-five minutes (Hindi) (Only on computers).	Not applicable.	Two years. **Note:** There shall be mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment through the Staff Selection Commission. **Note:** Vacancies caused by incumbents being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government: (a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) Consisting of : 1. Director, Central Hindi Training Institute- Chairman; 2. Under Secretary, Department of Official Language- Member; 3. Administrative Officer, Central Hindi Training Institute- Member.	Not applicable.

[F. No. 14034/12/2022-OL(Training)]

ANIL KUMAR, Dy. Secy. (TRG.)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA